विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर
पुण्यश्लोका देवी अहिल्या बाई होल्कर भवन जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर –302017
ईमेलः Vsu.jaipur@rajasthan.gov.in वेब साईट www.vsuraj.ac.in

क्रमांक : एफ.149/ वीसू /मैनपावर/2025-26/6682 दिनांक - 09/09/25

ई–बोली आमंत्रण सूचना

विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा मैनपॉवर सेवाओं हेतु पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता संस्था/एजेन्सी से मैनपावर सेवाऐं (अनुमानित लागत राशि रूपये 22.00 लाख एक वर्ष के लिए) उपलब्ध करवाने हेतु ई–प्रोक्यूरमेंट माध्यम से ऑनलाईन बोली आमंत्रित की जाती है। बोली से संबंधित विवरण/शर्ते वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in एवं https:// www.vsuraj.ac.in पर देखी जा सकती है तथा बोली प्रपत्र इन्हीं वेबसाईट से नियत तिथि से डाउनलोड किया जा सकता है।

UBN NO :-

09/09/25

कुलसचिव
विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय
जयपुर

विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर
पुण्यश्लोका देवी अहिल्या बाई होल्कर भवन जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर –302017
ईमेलः Vsu.jaipur@rajasthan.gov.inवेब साईट www.vsuraj.ac.in

क्रमांकः एफ.149 / वीसू / परीक्षा / 2025–26 / 6683 दिनांकः 09/09/25

ई–बोली आमंत्रण

विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा मैनपॉवर सेवाओं हेतु पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता संस्था / एजेन्सी से जॉब बेसिस पर मैनपावर सेवाऐं उपलब्ध करवाने हेतु ई–प्रोक्यूरमेंट माध्यम से ऑनलाईन बोली आमंत्रित की जाती है। बोली से संबंधित विवरण / शर्ते वेबसाईट http://eproc. rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है तथा बोली प्रपत्र को इन्ही वेबसाईट से नियत तिथि से डाउनलोड किया जा सकता है। बोली से संबंधित जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.vsuraj.ac.in** पर भी देखी जा सकती है :–

विवरण	अनुमानित मूल्य	बोली प्रतिभूति (अनुमानित लागत का 2%)	बोली प्रपत्र शुल्क	ई–टेण्डरिंग प्रोसेसिंग फीस	प्रस्तावित ऑनलाईन बोली		
					फार्म डाउनलोड प्रारंभ करने की दिनांक व समय	फार्म अपलोड करने की अंतिम दिनांक व समय	तकनीकी ऑन लाईन बोली खोलने की दिनांक व समय
मैनपावर सेवाएं	22.00 लाख रूपये	44,000 / – (नियमानुसार छूट प्राप्त संस्थाओं को बोली प्रतिभूति राशि में छूट देय होगी)	रू0 1000 / –	रू.500 / –	10.09.2025 प्रातः 10.00 बजे से	19.09.2025 दोपहर 02.00 बजे तक	19.09.2025 सांय 03.00 बजे

09/09/25
कुलसचिव
विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय
जयपुर

विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर
पुण्यश्लोका देवी अहिल्या बाई होल्कर भवन शिक्षा संकुल जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर –302017
ईमेलः Vsu.jaipur@rajasthan.gov.inवेब साईट www.vsuraj.ac.in

जॉब बेसिस पर कार्मिको की सेवाऐं सेवाप्रदाता फर्म के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाने हेतु निविदा आमन्त्रण सूचना का दस्तावेज

(For publication on State Public Procurement Portal)

1. सेवाप्रदाता फर्म के माध्यम से जॉब बेसिस पर लिपिक, ड्राईवर एवं सहायक कर्मचारी आदि की सेवाऐं निधारित पारिश्रमिक दरो पर उपलब्ध करवाने हेतु रजिस्टर्ड फर्मो/संस्थाओं से द्वि–स्तरीय ई निविदाएं आमंत्रित की जाती है। प्रथम भाग में तकनीकी निविदा जिसमें कार्य अनुभव/टर्नओवर/रजिस्ट्रेशन लाईसेंस आदि का विवरण एवं द्वितीय भाग में दरों की निविदा प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी निविदा के परीक्षण में सफल फर्मो की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।
2. निविदा की कार्य अवधि 1 वर्ष रहेगी। कार्य अवधि आपसी सहमति से आरटीपीपी नियमों अनुसार बढाई जा सकेगी।
3. केवल ई–निविदा ही स्वीकार की जावेगी। निविदा प्रपत्र शुल्क एवं बिड सिक्योरिटी राशि का डी.डी./बैंकर्स चैक Registrar, Vishvakarma Skills University, Jaipur के पक्ष में देय (जयपुर में भुगतान योग्य एवं अपरिवर्तनीय) तथा प्रोसेसिंग शुल्क MD,RISL, Jaipur (जयपुर में भुगतान योग्य एवं अपरिवर्तनीय) के नाम देय होगा जिसे नियत दिनांक एवं समय तक विश्वविद्यालय में जमा कराया जाना आवश्यक है, अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जावेगा।
4. निविदा प्रपत्र एवं निविदा की विस्तृत शर्ते निम्न वेबसाईट से डाउनलोड की जा सकती है।
   http://sppp.rajasthan.gov.in,http://eproc.rajasthan.gov.in&https://www.vsuraj.ac.in
5. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 (समय–समय पर संशोधित) लागू होंगे।

MDh 9/09/25

09/09/25

विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर
पुण्यश्लोका देवी अहिल्या बाई होल्कर भवन शिक्षा संकुल जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर –302017
ईमेल: Vsu.jaipur@rajasthan.gov.in वेब साईट www.vsuraj.ac.in

1.	निविदा का नाम	विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर (वी.एस.यू.) कार्यालय में पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त संस्था/एजेन्सी से जॉब वर्क बेसिस पर मैन पॉवर सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु।
2.	निविदा की कुल अनुमानित लागत	22.00 लाख रूपये अनुमानित
3.	बोली प्रतिभूति	अनुमानित लागत का 2% (नियमानुसार छूट प्राप्त संस्थाओं को बोली प्रतिभूति राशि में छूट देय होगी)
4.	निविदा प्रपत्र शुल्क (जो कि Registrar Vishvakarma Skills University, Jaipur के पक्ष में ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक के माध्यम से)	1000/– रूपये
5.	टेण्डर प्रोसेसिंग फीस (जो कि MD, RISL, Jaipur के पक्ष में ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से)	500/– रूपये
6.	निविदा आवेदन/डाउनलोड करने की दिनांक एवं समय	10.09.2025 को प्रातः 10.00 बजे से
7	निविदा अपलोड करने की अंतिम दिनांक एवं समय	19.09.2025 को दोपहर 02.00 बजे तक
8	तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक एवं समय	19.09.2025 को सांयः 03.00 बजे
9	निविदा प्रपत्र समस्त दस्तावेजों के साथ, निविदा प्रपत्र शुल्क, टेण्डर प्रोसेसिंग फीस के ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक तथा बोली प्रतिभूति राशि वि.एस.यू. में जमा कराने की अंतिम दिनांक व समय	19.09.2025 को दोपहर 02.00 बजे तक

MOH 09/09/25

09/09/25

निविदादाता के हस्ताक्षर

विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर
पुण्यश्लोका देवी अहिल्या बाई होल्कर भवन शिक्षा संकुल जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर –302017
ईमेलः Vsu.jaipur@rajasthan.gov.inवेब साईट www.vsuraj.ac.in

ई–निविदा की शर्ते

1. निविदादाता द्वारा निविदा वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in, sppp.rajasthan.gov.in एवं https:// www.vsuraj.ac.in से डाउनलोड की जावेगी।
2. ई–उपापन पद्धति से वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की गई ई–निविदा ही स्वीकार की जावेगी। निविदा को अपलोड करने से पूर्व निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर डिजिटल हस्ताक्षर आवश्यक है। ऑफलाईन निविदाएं स्वीकार नही की जावेगी किंतु ऑनलाइन भरी गई निविदा की हार्डकॉपी विश्वविद्यालय में निर्धारित दिनांक 19.09.2025 समय दोपहर 2:00 बजे तक जमा करवानी आवश्यक है अन्यथा फर्म की निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. ऑन लाईन निविदा के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क एवं बिड सिक्योरिटी डिमाण्ड ड्राफ्ट (जयपुर में भुगतान योग्य एवं अपरिवर्तनीय) Registrar, Vishvakarma Skills University, Jaipur के पक्ष में देय (नियमानुसार छूट प्राप्त फर्मों द्वारा नियमानुसार बिड सिक्योरिटी राशि देय होगी), प्रोसेसिंग शुल्क MD, RISL, Jaipur के नाम देय का प्रूफ ऑन लाईन निविदा के साथ अपलोड किया जाना आवश्यक होगा तथा इनको नियत दिनांक एवं समय तक बोर्ड कार्यालय को जमा कराया जाना आवश्यक होगा। निविदा प्रपत्र शुल्क एवं बिड सिक्योरिटी राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट (जयपुर में भुगतान योग्य एवं अपरिवर्तनीय) Registrar, Vishvakarma Skills University, Jaipur के नाम, प्रोसेसिंग शुल्क MD, RISL, Jaipur के नाम नियत दिनांक एवं समय तक विश्वविद्यालय में जमा नहीं कराये जाने की स्थिति में निविदा प्रस्ताव निरस्त माना जावेगा।
4. अनुमानित मूल्य का 2% (राशि रुपये 44,000/–) बोली प्रतिभूति राशि के रुप में निर्धारित दिनांक एवं समय से पूर्व जमा कराया जाना आवश्यक है (नियमानुसार छूट प्राप्त संस्थाओं/फर्मो को बोली प्रतिभूति राशि में छूट देय होगी)।
5. निविदा प्रक्रिया शुल्क के रूप में MD, RISL, Jaipur के पक्ष में 500/– रू. का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक (जयपुर में भुगतान योग्य एवं अपरिवर्तनीय) तथा निविदा प्रपत्र शुल्क के रूप में 1000/– रू. का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक (जयपुर में भुगतान योग्य एवं अपरिवर्तनीय) Registrar, Vishvakarma Skills University, Jaipur के पक्ष में देय, अपलोड करना आवश्यक है। जिसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. निविदादाता के पास राजकीय कार्यालयों में कम से कम पांच वर्षो का समान कार्य का अनुभव होना आवश्यक है (प्रति संलग्न करें)।
7. निविदादाता के पास गत 3 वित्तीय वर्षा में कम से कम राशि रुपये 50.00 लाख का समान प्रकार के कार्य का सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने का अनुभव होना आवश्यक है। (प्रति संलग्न करें)।
8. सभी योग्य निविदादाताओं को वित्तीय निविदा खोले जाने की तिथी सूचित की जावेगी। वित्तीय निविदा सभी योग्य निविदादाताओं के प्रतिनिधियों, जो निविदा के समय उपस्थित

रहना चाहते है, के समक्ष खोली जावेंगी। योग्य निविदादाता अथवा उनके द्वारा अधिकृत एक प्रतिनिधि को उपस्थित रहने की अनुमति दी जावेगी।

9. सफल निविदादाता फर्म को विश्वविद्यालय में जॉब बेसिस पर लिपिक, ड्राईवर एवं सहायक कर्मचारी आदि हेतु समय–समय पर आवश्यकतानुसार पूर्णतः अस्थाई आधार एवं जॉब बेसिस पर निविदादाता स्वयं की जिम्मेदारी एवं पूर्ण नियंत्रण पर कामगार, उक्त कार्यो के सम्पादन हेतु रखने होगें। आपूर्ति किये जाने वाले मैन पॉवर सेवाओ की संख्या एवं योग्यता मापदण्ड **परिशिष्ठ–1** के अनुसार रहेगी। कार्मिकों की संख्या वि.एस.यू की वर्तमान आवश्यकताओं/कार्य को ध्यान में रखते हुए दर्शायी गई है। विश्वविद्यालय की आवश्यकता अनुसार पदो की संख्या में समय–समय पर आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बढ़ोतरी/कमी की जा सकती है। वर्ष भर के दौरान कार्य की न्यूनतम राशि/मात्रा की कोई गारन्टी नहीं है।

10. **परिशिष्ठ–1** में वर्णित कार्य के लिए दिये गये योग्यता मापदण्ड अनुसार ही अनुमोदित फर्म को कार्मिक उपलब्ध करवाने होगे। योग्यता अनुसार कार्मिक उपलब्ध नही करवाये जाने की स्थिति में राशि रुपये 500/– प्रति कार्मिक प्रति दिन के हिसाब से दण्ड (पेनल्टी) लगाया जावेगा। अधिकतम 30 दण्ड (पेनल्टी) होने पर अनुमोदित फर्म का अनुबन्ध निरस्त करते हुए फर्म को 2 वर्ष के लिए ब्लेकलिस्ट किया जाकर प्रतिभूति (performance security) राशि को जब्त करने का अधिकार कुलसचिव, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर (वि.एस.यू.) को होगा।

11. अनुमोदित फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले कार्मिकों को **परिशिष्ठ–1** में वर्णित योग्यता मापदण्ड के अनुसार योग्यता प्रमाण पत्र मांगे जाने पर योग्यता प्रमाण–पत्र दिखाना होगा।

12. निविदादाताओं द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक दरें **परिशिष्ठ–4** अनुसार ई–प्रोक पर ऑनलाईन BOQ शीट में प्रस्तुत की जानी होगी।

13. चयनित फर्म/संस्था को कार्य सम्पादन प्रतिभूति (performance security) के रूप में अनुमानित निविदा मूल्य की 5 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी (राजकीय नियमानुसार छूट प्राप्त फर्मो को नियमानुसार छूट देय होगी) जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। अनुबन्ध की संतोषजनक समाप्ति के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति (performance security) अनुमोदित फर्म को लौटा दी जायेगी।

14. निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी नियम एवं शर्तो की सहमति स्वरूप निविदादाता को निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर मय मोहर करने होगें तथा समस्त दस्तावेजों को स्व–प्रमाणित कर ऑनलाईन अपलोड करना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जावेगा।

15. तकनीकी निविदा से सम्बन्धित चैकलिस्ट **(परिशिष्ठ–2)** में उल्लेखित समस्त दस्तावेजो की स्वप्रमाणित छाया प्रति अपलोड करनी होगी।

16. निविदादाता द्वारा वित्तीय प्रस्ताव (BOQ शीट) के निर्धारित कॉलम की पूर्ति करते हुऐ कुल लागत का उल्लेख अंको एवं शब्दो में स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक होगा। सर्विस चार्ज की राशि शून्य से अधिक अंकित करनी होगी अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।

MOH 09/09/25

09/09/25

17. निविदादाता द्वारा 100/– रूपये के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निविदादाता/फर्म/संस्था के किसी राजकीय विभाग द्वारा Black Listed नही किये जाने का शपथ पत्र **परिशिष्ठ – 3** अनुसार दिया जाना आवश्यक होगा।
18. निविदादाता/फर्म/ संस्था द्वारा 100/– रूपये को नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर भविष्य निधि आयुक्त के 7A नोटिस में किसी भी विवाद/बकाया न होने के संबंध में शपथ पत्र **परिशिष्ठ–5** अनुसार दिया जाना आवश्यक होगा (प्रमाण स्वरूप भविष्य निधि आयुक्त द्वारा 7A नोटिस के संबंध में विवाद न होने के प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगानी आवश्यक होगी)। भविष्य निधि आयुक्त द्वारा जारी 7A नोटिस में किसी भी विवाद/बकाया होने की स्थिति में निविदादाता/अनुमोदित फर्म/एजेन्सी को तकनीकि रूप से अयोग्य माना जावेगा।
19. सशर्त निविदा स्वीकार नही होगी तथा निविदा की किसी भी शर्त को जोडने व हटाने का अधिकार निविदादाता को नहीं होगा।
20. अनुबंधित अनुमोदित फर्म/ऐजेन्सी द्वारा निविदा संबंधित कार्य किसी अन्य ऐजेन्सी को सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
21. निविदादाताओं द्वारा प्रस्तावित की गई दरें कुलसचिव, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर (वि.एस.यू.) के पास विचार कर नियमानुसार स्वीकार करने के लिए निविदा खुलने की तिथि से 90 दिवस तक मान्य होगी।
22. सफल निविदादाता को अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने से पूर्व निविदा अनुमानित मूल्य की 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति (performance security) राशि रूपये 1,10,000/– (राजकीय नियमानुसार छूट प्राप्त फर्मो को नियमानुसार छूट देय होगी) बैक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक या बैक गारन्टी या एफ.डी.आर.के रूप में बोर्ड कार्यालय के पास निर्धारित अवधि दस दिवस में जमा करानी होगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। performance security दर अनुमोदन की तिथि से न्यूनतम 18 माह तक वैध होनी चाहिये।
23. यदि कोई निविदादाता/अनुमोदित फर्म निविदा प्रपत्र में किसी तथ्य को छिपाता है और जो कि अनुबन्ध की अवधि के दौरान सामने आता है तो अनुबन्ध निरस्त कर कार्य सम्पादन प्रतिभूति (performance security) जब्त कर ली जावेगी।
24. निविदादाता द्वारा दिये जाने वाले सभी डी.डी./बैंकर्स चैक/बैंक गांरटी/एफ.डी.आर. Schedule Bank के होने चाहिए।
25. निविदा की न्यूनतम दर का निर्धारण ऑनलाईन BOQ Sheet में कुल योग राशि (नियत पारिश्रमिक सर्विस चॉज सहित) पर बिना जीएसटी सम्मिलित किया जावेगा। न्यूनतम दरों पर दो या दो से अधिक निविदादाता/अनुमोदित फर्म आने की स्थिति में कार्य का विभाजन न्यूनतम दर दाता फर्मो के मध्य किया जा सकता है।
26. **निविदा के BOQ Sheet में अंकित न्यूनतम पारिश्रमिक उल्लेखित हैं। (श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित मजदूरी की दर से कम नहीं होगी) इससे कम परिश्रमिक का प्रस्ताव अमान्य होगा।**
27. किसी भी एक अथवा सभी निविदाओं को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का कुलसचिव, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर (वि.एस.यू.) के पास सुरक्षित रहेगा जिसके लिए किसी भी प्रकार का कारण/स्पष्टीकरण मांगने का हक निविदादाता/अनुमोदित फर्म को नहीं होगा।

M04 09/09/25

09/09/25

28. जॉब बेसिस पर कामगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था पूर्णतया अस्थाई है और इसे किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

29. अनुबन्धित अनुमोदित फर्म द्वारा पी.एफ. (नियोक्ता एवं नियोजित) के अंशदान, कर्मचारी राज्य बीमा योजना अंशदान (नियोक्ता एवं नियोजित), जीएसटी की राशि, इनकम टैक्स आदि जमा कराने की जिम्मेदारी स्वयं की होगी तथा वैधानिक दायित्वो की पूर्ति में किसी भी कारण देरी होने पर उस पर लगने वाली पेनल्टी/ब्याज आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुमोदित फर्म की होगी। अनुमोदित फर्म द्वारा वि.एस.यू. से देय जीएसटी/भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना अंशदान जमा कराने के चालान/रसीद की प्रति आगामी माह के बिल के साथ वि.एस.यू. को प्रस्तुत करनी होगी।

30. प्रत्येक जॉब बेसिस कार्मिक को प्रत्येक कार्य दिवस में निर्धारित समय (प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक) प्राधिकृत अधिकारी/अनुभाग में अपनी उपस्थिति देनी होगी। जॉब बेसिस कार्मिक को सामान्यतः रविवार का अवकाश देय होगा।यदि कार्यालय समय पश्चात रोका जाता है अथवा रविवार को कार्मिक को डयूटी पर बुलाया जाता है तो श्रम विभाग के नियमानुसर आनुपातिक रूप से अतिरिक्त पारिश्रमिक देय होगा।

31. अनुमोदित फर्म द्वारा वि.एस.यू. की आवश्यकतानुसार समय–समय पर उपलब्ध कराये गए कामगारों की सेवाओं के विरूद्ध माहवार बिल भुगतान हेतु प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अवश्य प्रस्तुत करना होगा। वी.एस.यू. द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर अतिशीघ्र बिल का भुगतान कर दिया जावेगा परन्तु अनुमोदित फर्म को किसी भी स्थिति में 07 तारीख तक वैधानिक दायित्वों जैसे भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना अंशदान आदि की नियमानुसार समय से भुगतान करना होगा चाहे उसे वि.एस.यू. से भुगतान प्राप्त हो अथवा नहीं। निविदादाता द्वारा वैधानिक दायित्वों की पूर्ति में किसी भी कारण देरी होने पर उस पर लगने वाली पेनल्टी/ब्याज आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुमोदित फर्म की होगी।

32. वि.एस.यू. द्वारा बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उक्त जॉब बेसिस पर कर्मचारी रखने की व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है परन्तु अनुमोदित फर्म द्वारा कार्य व्यवस्था समाप्त करने हेतु कम से कम एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा।

33. सफल निविदादाता/अनुमोदित फर्म/एजेन्सी को वि.एस.यू. कार्यालय में उनके द्वारा नियोजित कार्मिकों के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा लागू सभी कानून/अधिनियम आदि के प्रावधानों की पालना करनी होगी। सफल निविदादाता/अनुमोदित फर्म/ एजेन्सी को जॉब बेसिस पर कार्यरत कर्मचारियों को निविदा में अनुमोदित दरों अनुसार पारिश्रमिक एवं ई.पी.एफ. व ई.एस.आई. का अंशदानदिया जाना आवश्यक होगा।

34. जॉब बेसिस पर कार्यरत कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना आदि अधिनियम की सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अनुमोदित फर्म का होगा।

35. अनुमोदित फर्म के किसी भी कामगार के द्वारा अनुबन्ध अवधि में अथवा उसके बाद यदि बकाया भुगतान के संबंध कोई वाद अथवा विवाद किसी स्तर पर श्रम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में चलाया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुमोदित फर्म की होगी। समुचित उत्तर/पैरवी व उसके निपटारे का पूर्ण दायित्व नियोक्ता अनुमोदित फर्म का होगा।

09/09/25 09/09/25

36. जॉब बेसिस पर कार्यरत कोई भी कामगार यदि किसी भी कारणवश किसी कार्यदिवस को कार्यालय में उपस्थिति देने में असमर्थ रहे तो अनुमोदित फर्म को उसके बिल में से आनुपातिक राशि काट कर भुगतान किया जावेगा ।

37. सफल निविदादाता एवं वि.एस.यू. के मध्य निविदा प्रपत्र की शर्तों को सम्मिलित करते हुए दोनों पक्षों के मध्य 500/– रू0 के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित किया जावेगा। अनुबन्ध की अवधि आपसी सहमती से नियमानुसार बढायी जा सकेगी। जिसके लिए performance security की वैधता भी तदनुसार बढानी होगी।

38. अनुमोदित फर्म द्वारा नियोजित किसी भी कार्मिक को वि.एस.यू. का कार्मिक नहीं माना जावेगा।

39. उपापन संस्था के समस्त अधिकारी या कर्मचारी राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अध्याय 6 नियम संख्या 80 सत्यनिष्ठा संहिता की पालना सुनिश्चित करेंगे। विवाद की दशा में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 (समय–समय पर संशोधित) तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अंतिम होगा। उपरोक्त शर्तों की सहमति स्वरूप निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर किये जावे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Moh 09/09/25

09/09/25

निविदा स्वीकृति पत्र

(फर्म/एजेन्सी के लेटर हैड पर दिया जावे)

कुलसचिव,
विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय,
पुण्यश्लोका देवी अहिल्या बाई होल्कर भवन शिक्षा संकुल,
जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर 302017

विषयः– निविदा प्रपत्र की शर्तो एवं नियम पर सहमति बाबत।

निविदा संदर्भः–
निविदा आई.डी. न0:
कार्य का नामः

महोदय,

1. मैंने/हमने उपरोक्त कार्य हेतु निविदा प्रपत्र वेबसाईट से डाउनलोड कर लिया हैं।
2. मैं/हम प्रमाणित करते है कि निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी नियम एवं शर्तो, परिशिष्ट, नोटस आदि जो कि कॉन्ट्रेक्ट एग्रीमेन्ट का हिस्सा हैं, को पढ लिया है एवं अच्छी तरह से समझ लिया है और मैं/हम सभी वर्णित नियम एवं शर्तो का पालन करेंगे।
3. सहमति पत्र प्रस्तुत करते समय मैं/हम उक्त निविदा के संबंध में समय–समय पर जारी संशोधन का ध्यान रखेंगे।
4. मैं/हम निविदा प्रपत्र एवं समय–समय पर जारी संशोधन सहित निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी नियम व शर्तो को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते है।
5. यदि मेरे/हमारे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित किसी भी शर्त का उल्लंघन करना पाया जाता है तो कुलसचिव, वि.एस.यू., जयपुर मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये निविदा प्रपत्र को निरस्त करने के साथ मेरे/हमारे द्वारा जमा करवायी गई कार्य सम्पादन प्रतिभूति पूर्ण रूप से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

उपरोक्त की सहमति स्वरूप निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

दिनांकः

09/09/25

09/09/25

पदों का विवरण एवं योग्यता मापदण्ड

क्र. सं.	कार्य	कार्य करने हेतु आवश्यक कर्मचारी	कर्मचारियों की संख्या	शैक्षणिक / तकनीकी योग्यता
1.	कम्प्यूटर पर एम.एस.वर्ड, एक्सैल, पावर पाईन्ट, इंटरनेट व ई–मेल सम्बन्धी कार्य, ऑनलाईन पत्रावलियों के आदान–प्रदान का कार्य तथा हिन्दी व अंग्रेजी टाईपिंग इत्यादि कार्य सम्पादित किये जायेगें।	लिपिक	02	• Efficiency in English/Hindi • Should possess Internet and computer skill. • Experience of at least one year in any Government Department/PSUs/Courts/ Authority of Govt./reputed private firm. • Efficiency in English/Hindi typing. • Must be graduate with minimum 45% marks.
2.	कार्यालय की पत्रावलियों / डाक का वितरण, फोटो कॉपी करना, बैठकों में जलपान व्यवस्था करना, समय–समय पर पंखे–लाईट आदि साफ करना, अधिकारियों व कर्मचारियों की टेबल पर डस्टिंग का कार्य व अन्य कार्य उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार किया जावेगा।	सहायक कर्मचारी / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	05	1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा मान्यता प्राप्त अन्य किसी बोर्ड से आठवी पास होना चाहिए। 2. अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यालय के दैनिक कार्यकलापों का निर्वहन करना। 3. हिन्दी भाषा समझने व लिखने में सक्षम।
3.	कुलपति महोदय एवं कुलसचिव महोदय के वाहन का चालन करना।	ड्राईवर	02	1. हल्के वाहन (Light Motor Vehicle) चालक की वैध अनुज्ञप्ति (License) लाइसेन्स धारक होना चाहिए। 2. हल्के वाहन (Light Motor Vehicle) की वैध अनुज्ञप्ति (License) प्राप्त करने के पश्चात उक्त वाहनों का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 3. आंखो की दृष्टि या बिना चश्में के 6 / 6 होनी चाहिए। 4. रोड साईड वाहन मरम्मत का ज्ञान एवं वाहन चालन में दक्षंता होनी चाहिए। 5. मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। 6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा मान्यता प्राप्त अन्य किसी बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण होना चाहिए।

Moh 09/09/25   09/09/25

भाग–अ "तकनीकी निविदा सम्बन्धित Check List"

क्र. स.	विवरण	Scanned & uploaded Document Yes/No	पृष्ठ संख्या
1.	निविदादाता/फर्म/संस्था का नाम एवं पता (मय टेलिफोन/मोबाइल न.)		
2.	निविदादाता को जॉब बेसिस पर कर्मचारियों की सेवाए उपलबध कराने का अनुभव प्रमाण पत्र		
3.	निविदादाता/फर्म का पेन नम्बर		
4.	निविदादाता/फर्म का जीएसटी नम्बर		
5.	जी.एस.टी. जमा कराये जाने का अद्यतन प्रमाण पत्र		
6.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र		
7.	अनुमोदित फर्म का श्रमिक अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र		
8.	भविष्य निधि आयुक्त के 7A नोटिस में किसी भी विवाद में न होने का निविदादाता/फर्म/संस्था का 100/– रुपये के नान ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र **(परिशिष्ठ–5)**		
9.	गत तीन वर्षो के आयकर रिटर्न, टर्नओवर एवं वार्षिक लेखो की अंकेक्षित प्रतिलिपि		
10	बोली प्रतिभूतिराशि का डी.डी./बैंकर्स चैक नम्बरः दिनांकः		
11.	राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 एवं नियम–13 के अनुसार Annexure A,B,C,D		
12.	100/– रूपये के नान ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर निविदादाता/फर्म/ संस्था के किसी राजकीय विभाग द्वारा Black Listed नही किये जाने का शपथ पत्र **(परिशिष्ठ–3)**		
13.	गत 3 वित्तीय वर्षा में कम से कम राशि 50 लाख रुपये का समान प्रकार के कार्य का अनुभव (वर्क आर्डर की प्रति संलग्न करें)		
14.	गत तीन वर्षो मे किसी एक कार्यादेश के माध्यम से न्यूनतम 50 कार्मिक एक साथ लगाये जाने का अनुभव (वर्क आर्डर की प्रतिलिपि संलग्न करें)		

मैं .... पुत्र श्री ....सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त अंकित विवरण एवं संलग्न सभी विवरण एवं सत्य है तथा निविदा प्रपत्र की सभी शर्त स्वीकार है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

नाम ....

(आवेदक)

स्थानः

दिनांकः

MOh 09/09/25

09/09/25

"शपथ – पत्र
(100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर)

1. निविदा दाता..
....
...............................यह सत्यापित (घोषणा) करता हूं कि राज्य के किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय द्वारा हमें कभी Black Listed नहीं किया गया है।

2. मैंने/हमने निविदा की समस्त शर्ते पढ़कर समझ ली हैं तथा मैं/हम इन समस्त शर्तों का पालन करने के लिये पूर्णतः सहमत हूं यदि निविदा अवधि में किसी भी शर्त का उल्लंघन मेरे/हमारे द्वारा किया जाता है, तो मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जावे।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय सील

MDh 09/09/25

09/09/25

''शपथ – पत्र
(100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर)

1. निविदा दाता ....
....यह सत्यापित (घोषणा) करता हूं कि हमारी संस्था/फर्म के विरुद्ध भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का बकाया/विवाद के लिए 7A नोटिस जारी नही किया गया है। यदि उक्त सूचना सही नही पाई जाती है तो हमारी निविदा निरस्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का पूर्ण अधिकार कुलसचिव, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर को होगा।

MDK 09/09/25 09/09/25

हस्ताक्षर निविदादाता
मय सील

Compliance of Code of Integrity and No Conflict of Interest

(To be signed and submitted along with the first part bid)

Any person participating in a procurement process shall:-

(a) Not offer any bribe, reward of gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.

(b) Not misrepresent or omit or mislead or attempt to mislead so as to obtain a financial or other benefit of avoid an obligation.

(c) Not indulge in any collusion, bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and process of the procurement process.

(d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidder with an intent to gain unfair advantage in the procurement process.

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or its property to influence the procurement process.

(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process.

(g) Disclose conflict of interest, if any; and

(h) Disclose any pervious transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited :
    a. have controlling partners/shareholders in common; or
    b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them;
    c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
    d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decision of the procuring Entity regarding the bidding process; or
    e. the Bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the all same subcontractor, not otherwise participation as Bidder, in more than one Bid; or
    f. the Bidder or any of its affiliates participated as consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
    g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Moh 09/09/25

09/09/25

Declaration by the Bidder Regarding Qualification

(To be submitted along with the first part bid)

In relation to my/our Bid submitted to Registrar Vishvakarma Skill University, Jaipur for manpower services on jobwork basis in response to their notice Inviting Bid No............................Dated......................... I/we hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:-

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required in the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, nor have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, nor have my/our business activities suspended and have not been the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/weand our directors or officers have not been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or making false statement or misrepresentations as to my/our qualification in order to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process.Also, I/we have not been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition.

Date: **Signature of bidder**

Place: **(With Office Seal)**

MDh 09/09/25 09/09/25

Grievance Redressed during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is …………… Vishvakarma Skill University, Jaipur (as the case may be).

The designation and address of the second appellate authority is Finance Department, Rajasthan, Jaipur.

Filling an appeal:-

(1) If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the act or the rules or the guidelines issued there under, he may file an appeal to first appellate authority, as specified in the bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the Order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as thecase may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain case- No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely :-
- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of bidders in the bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal
- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed from along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or through registered post or by authorized representative.

(6) Fee for filing Appeal
- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

Moh 09/09/25 09/09/25

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled band in India payable in the name of appellate authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The first appellate authority or second appellate authority, as the case may be upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) on the date fixed hearing, the first appellate authority or second appellate authority, as the case may be shall, -

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.

09/09/25

09/09/25

Additional Conditions of Contract

(To be signed and submitted along with the first part bid)

1. Correction of arithmetical errors

   provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial bids on the following basis:

   a. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected.

   b. if there in an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

   c. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

   if the bidder that submitted the lowest evaluated bid does not accept the correction of errors, its bid shall be disqualified and its bid security shall be forfieted or its bid securing declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's right to vary quantities

   i. At the time of award of contract, the quantity of goods, works or services originally specified in the bidding document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent of the quantity specified in the bidding document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the bid and the conditions of the bid and the conditions of contract.

   ii. If the procuring entity does not procure and subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the bidding document due to change in circumstances, the bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the conditions of contract.

   iii. In case of procurement of goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and condition of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the procuring entity shall be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing Quantities among more than one bidder at the time of award (in case of procurement of goods)

   As a general rule all the quantities of the subject matter of procurements shall be procured from the bidder, whose bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the bidder, whose bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter or procurement to be procured is of critical and vital natures, in such cases, the quantity may be divided between the bidder, whose bid is accepted and the second lowest bidder or even more bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates if the bidder, whose bid is accepted.

09/09/25

09/09/25

Form No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No .... of ....

Before the .... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of Appellant :
2. Name of the Appellant :
3. Official address, if any :

1. Name and address of the respondent (s):
   (i)

   (ii)

   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and designation of the Officer/authority who passed the order (enclosed copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :

4. If the Appellant propose to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :
6. Grounds of Appeal :

   ....

   ....

   (Supported by an affidavit)

7. Prayer :

   ....

Place ....

Date ....

Moh 09/09/25 09/09/25

Appellant's Signature